न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/253

1. नैनूराम पुत्र कानाराम
2. बाबूलाल पुत्र कानाराम
3. तुलसीराम पुत्र कानाराम
4. प्रभाती देवी पत्नी कानाराम

समस्त जाति माली निवासी जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी रामू
2. बिरदी देवी पत्नी नारायण लाल

समस्त जाति माली निवासी जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर।

3. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेण्ट्स

4. नाथी देवी पुत्री कानाराम पत्नी कानाराम जाति माली निवासी जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार जयपुर निर्णय दिनांक 02.06.2023 अन्तर्गत धारा 135(2)

उपस्थित–

1. श्री विवेक शर्मावकील अपीलान्ट
2. श्रीविवेक मीणावकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री कालूराम मीना वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –24.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार जयपुर के निर्णय दिनांक 02.06.2023के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर में मृतक भूरा पुत्र खेमा की विरासत नामान्तरकरण संख्या 909 दिनांक 27.09.2002 उसके दो पुत्रों में एक कल्याण पुत्र खेमा की नाऔलाद फौत होने पर अपीलांट के नाम खोले जाने पर रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा इसकी अपील जिला कलक्टर जयपुर के यहॉ प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा नामा0 निरस्त कर तहसीलदार जयपुर को रिमाण्ड किये जाने पर जिला कलक्टर जयपुर की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष होने पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय को यथावत रखा गया। तत्पश्चात् तहसीलदार जयपुर द्वारा 135(2)की कार्यवाही कर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को मृतक खातेदार भूरा पुत्र

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खेमाकी पुत्रियॉ मानते हुये नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिनांक 02.06.2023 दिए गये।

3. तहसीलदार जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 02.06.2023से व्यथित होकर अपीलान्ट नैनूराम पुत्र कानारामद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जयपुरके निर्णय दिनांक 02.06.2023निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर में तहसीलदार जयपुर द्वारा मृतक भूरा पुत्र खेमा की विरासत नामान्तरकरण संख्या 909 दिनांक 27.09.2002 उसके दो पुत्रों में एक कल्याण पुत्र खेमा की नाऔलाद फौत होने पर अपीलांट के नामविधिवत खोला गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः अपने निर्णय दिनांक 02.06.2023 में बिरदी देवी के शपथ पत्र को ही आधार मानकर रेस्पो0 को भूरा की पुत्रियॉ माना है। जबकि पक्षकारों के मध्य राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन है और स्थगन का आदेश दिया हुआ है। जिससे स्थगन होने से रिकॉर्ड में इन्द्राज की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विवादित आराजीयात पर रेस्पो0 का कोई सरोकार व कब्जा नहीं है। इस प्रकार मृतकभूरा पुत्र खेमाकी जायदाद से असल–रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध वास्ता सरोकार नही रहा । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार जयपुर दिनांक 02.06.2023निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के खातेदार मृतक भूरा पुत्र खेमा की विरासत नामान्तरकरण संख्या 909 दिनांक 27.09.2002 केवल उसके दो पुत्रों में एक कल्याण पुत्र खेमा की नाऔलाद फौत होने पर अपीलांट के नाम गलत तरीके से खोले जाने परइसकी अपील जिला कलक्टर के होने पर नााम0 निरस्त कर रिमाण्ड कर पुनः विधिअनुरूप समस्त वारिसान के नाम नामा0 दर्ज करने के आदेश की पालना में तहसीलदार जयपुर द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसके मुताबिक मृतक भूरा के दो पुत्र एवं दो पुत्रियॉ रेस्पो0 संख्या 1 व 2 होना बताया है। जिसके अनुसार तहसीलदार जयपुर द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत मृतक खातेदार भूरा के विधिक जायज वारिसान् के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार भूरा पुत्र खेमाकी विरासतको लेकर है।अपीलांट का कथन है कि मृतक भूरा पुत्र खेमा के केवल दो पुत्र काना व कल्याण हुये रेस्पो0 का उक्त विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं है। विरासत नामान्तरकरण संख्या 909 दिनांक 27.09.2002 उसके दो पुत्रों में एक कल्याण पुत्र खेमा की नाऔलाद फौत होने पर अपीलांट के नाम विधिवत खोला गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.06.2023 में केवल बिरदी देवी के शपथ पत्र को ही आधार मानकर रेस्पो0 को भूरा की पुत्रियॉ मांना है। प्रकरण में अपीलांट ने अवगत कराया कि प्रकरण में अपीलांट को दिनांक 26.

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

06.2023 को न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। इसके बाबजूद भी तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 13.07.2023 को नामान्तरकरण संख्या 1612 स्वीकार किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार जयपुर से स्थगन के बाबजूद नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के संबंध में रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार जयपुर को तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा स्थगन आदेश से अवगत नहीं कराये जाने की स्थिति में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। जिस संबंध में कार्मिको को राजकार्य के प्रति लापरवाही बरतने व तथ्य छुपाने के कारण नोटिस भी जारी किया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि रेस्पो0 द्वारा मृतक खातेदार की पुत्री होन बाबत् न्यायालय हाजा के समक्ष कोई पुख्ता दस्तावेज एवं साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वे मृतक भूरा के विधिक वारिसान् है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल बिरदी देवी के शपथ पत्र को ही आधार मानकर रेस्पो0 को भूरा की पुत्रियॉ माना है। और उनके नाम न्यायालय हाजा का स्थगन होने के बाबजूद भी नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यकनहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर का निर्णय दिनांक 02.06.2023 निरस्त किया जाता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त,
जयपुर